(1)

(207)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग-284-I-16

प्र0क0 R 1/16

सामलिया पुत्र श्री लालाराम ज़ाति गौड फौत वारिसान–

1–रामप्रकाश 2–सोनेराम पुत्र सामलिया जाति गौड निवासी ग्राम मुगावली तह0 व जिला मुरैना

3–रामेश्वर पुत्र सामलिया जाति किरार ठाकुर निवासी ग्राम मुगावली तह0 व जिला मुरैना

4–मेधसिंह पुत्र देवीसिंह जाति किरार ठाकुर निवासी ग्राम मुगावली तह0 व जिला मुरैना

.....आवेदक

बनाम

म0प्र0 भासन द्वारा कलेक्टर महोदय मुरैना

.....अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 29/01/2016 न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय ~~भिण्ड~~ जिला मुरैना के प्र0क0 16/12–13 स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम मुगावली तह0 व जिला मुरैना में स्थित कृशि भूमि सर्वे क0 439/2 रकवा 2 वीघा 8 वि वा 0.418 है0 पटवारी कागजात में शासकीय अंकित होकर आवेदक क0 1 व 2 के पिता सामलिया पुत्र लालाराम का कब्जा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2184–एक/16 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–2–2017	उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 16/12–13/स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09–9–13 एवं 29–1–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक कमांक 4 मेघसिंह ने आवेदक कमांक 1 लगायत 3 को अनावेदकगण बनाकर कलेक्टर मुरैना के प्रकरण समक्ष स्वमेव निगरानी में लेने हेतु प्रस्तुत किया गया किया था। कलेक्टर ने उक्त आवेदन के आधार पर दिनांक 09–9–2013 को प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबद्ध किया। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि 25 वर्ष पश्चात दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारी का प्रदान किये जाना विशेष उपलबन्ध 1984 के अन्तर्गत पारित आदेश के 25 वर्ष पश्चात किसी व्यक्ति के आवेदन पर स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता। कलेक्टर को युक्तियुक्त समय के अन्दर किसी आदेश की औचित्यतता के संबंध में जांच करने की अधिकारिता है परन्तुत किसी व्यक्ति के आवेदन पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने 25 वर्ष के पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने में भी अवैधानिकता की है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स	

26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

> " भू–राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो ।

स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा 25 वर्ष के अभूतपूर्व विलंब से प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने में अवैधानिकता की है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति मेघसिंह के आवेदन पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया था उसके द्वारा प्रकरण नोटप्रेस में खारिज करने बावत आवेदन प्रस्तुत किया था उसे कलेक्टर द्वारा निरस्त किया है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। सर्वप्रथम तो कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति के आवेदन पर 25 वर्ष पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने में अवैधानिकता की गई थी द्वितीय जब उस व्यक्ति द्वारा प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तब उक्त आवेदन को नस्तीबद्ध करने में भी विधि की गंभीर भूल की है क्योंकि मेघसिंह के आवेदन पर ही जब प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था तब उसके आवेदन पर प्रकरण समाप्त भी किया जाना चाहिए

था। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा की जा रही अवैधानिक कार्यवाही एवं आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। कलेक्टर का आदेश दिनांक 09–9–13 एवं 29–1–16 अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण क्रमांक 16/2012–13/स्व0निग0 में की जा रही ही समाप्त किया जाता है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य